

स्वीकृति शक्ति (15 हार्स पावर)

अश्व शक्ति

स्वीकृति संख्या-2939

/वि0वि0ख0बाह

दिनांक-24.05.2023

स्वीकृति विधा- निजी नलकूप

प्रक्रमण शुल्क रू0 100

रसीद संख्या- 1008277441.

दिनांक- 23.05.2023

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

दक्षिणांचल विधुत वितरण निगम लि.

विधुत वितरण खण्ड

बाह (आगरा)

रजिस्टर्ड

सशर्त/समान्य/पूर्ण जमा योजना

पं. संख्या- 4248 / वि.वि.ख.बाह /

दिनांक- 24/5/2023

श्रीमती

माया देवी

पत्नी श्री

प्रेम सिंह

ग्राम- जरार पोस्ट-बाह तहसील-बाह जिला-आगरा।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त स्वीकृत विधुत शक्ति से सम्बन्धित व्यय का लेखा जोखा इस कार्यालय में प्राप्त हो गया है। आपको संयोजन पूर्ण जमा योजना योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों की स्वीकृति व पालन करने की अवस्था में दिया जायेगा।

1. आप अनुबन्ध करने की तिथि को निम्नलिखित धनराशि इस कार्यालय में जमा कर दें।

(1) जमानत की धनराशि	रू0 4500.00
(2) सर्विस कनेक्शन की धनराशि	रू0 -
(3) फिक्सड चार्ज की धनराशि	रू0 4957.00
(4) सिस्टम लोडिंग चार्ज	रू0 -
(5) अन्य चार्ज (यदि हों)	रू0 -
(6) अन्य धनराशि	रू0 99971.00

कुल योग रू0 1,09,428.00

(रूपया शब्दों में एक लाख नौ हजार चार सौ अट्ठाईस मात्र)

- आपको कनेक्शन के लिए नियम द्वारा निर्धारित 10 मी0 एच0टी0 लाइन एवं 25केवीए उपसंस्थान पडने के कारण रू0 99971.00 का धनजमा किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जायेगा।
- मीटर निरीक्षण शुल्क को शासकीय काम "0043-102" बिजली पर कर एवं शुल्क भारतीय विधुत नियमावली के अन्तर्गत रू0 1175.00/ जमा करना होगा। बिलान प्रति प्रस्तुत करनी है।
- आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सर्वोचित 33केवी विधुत उपसंस्थान से अपने वाहन द्वारा सामान को टुलार्ड करनी होगी। सामान टुलार्ड के साथ नियम का गवर्न श्रमिक (Skilled Labour) जायेगा तथा शीघ्र ही कार्य शुरू कर दगा।

5. आपको अपना पथ हातस बनाने हेतु आवश्यक ईट, बालू तथा सीमेंट का पथ बनाने की रसी में से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा अपनी लाइन व कनेक्शन हेतु भी देना होगा।
6. कनेक्शन हेतु लाइन व सब स्टेशन बनाने में जो मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी प्रदान करना पड़ेगा।


नोट: आपको अपने कनेक्शन के साथ आईएसआई मार्क शट कंटेनर (जीएसपी विन गटिव) अपना अनिवार्य रूप से देना होगा।
 1. बिजली कनेक्शन के साथ उपलब्ध करायेगा।
 2. कनेक्शन के समय समय पर निम्न द्वारा दिये निर्देशों का पालन करना होगा।

- नोट -
1. सीमेंट, बालू तथा मिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे तथा एंजिल पोल तथा एट के लिए दी गई जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी। प्रति खम्भा-सीमेंट 06 बोरी, बालू 03 घन फीट, मिट्टी (ब्रिक ब्ल्यास्ट) 06 घन फीट, प्रति स्टे-सीमेंट 03 बोरी, 15 घन फीट, मिट्टी (ब्रिक ब्ल्यास्ट) 03 घन फीट।
 (अ) एच.टी./एल.टी. लाइन हेतु- 80 मैन्डेज प्रति किलो मीटर
 (ब) सब-स्टेशन-40 मैन्डेज प्रति सब स्टेशन

2. आपको कार्य करने लिए मजदूरों की जरूरत होगी यदि आपको ऊपर लिखी शर्त मान्य हो तो आप कृपया किसी कार्य दिवस में 10 बजे प्रातः से दोपहर 01 बजे तक दो गवाहों सहित इस कार्यालय में पधार कर एग्जिमेन्ट हस्ताक्षर करें।

- (अ) नान जुडीशियल 100रु० का जनरल स्टाम्प तथा एक रूपये का रसीदी टिकट (Revenue Stamp) साथ लावें।
 (ब) आपके कनेक्शन को बिजली तभी दी जायेगी जब आपका वायरिंग पूरा होगा। ऊपर लिखी सब शर्तें जमा करने के पश्चात् जमानत व सर्विस लाइन चार्जेज की रसीद और वी एण्ड एल फार्म और मीटर डिक्लेरेशन फार्म (मीटर मुआइना के ट्रेजरी चालान सहित) अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के पास जमा कर दें तथा उसकी रसीदें प्राप्त कर लें।

यदि आप उपरोक्त शर्तें 30 दिन तक पूरा नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं है। प्रभार स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।


 अधिशासी अभियन्ता

पं. संख्या...../वि.वि.ख.बाह / दिनांक.....

प्रतिलिपि:-

1. उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड.....
2. हैड कैंशियर वि.वि.ख.बाह को इस आशय के साथ कि भुगतान की सूचना संगणक को देने का कर्तव्य करें।

1
 अधिशासी अभियन्ता